21-6-2022

"प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी / प्रार्थी	ब	प्रतिवादी / अप्रार्थी
राकेश पुत्र सुखाराम जाट हरियाजून तहसील कुचामनसिटी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 106 / 2022 GCMS No. 2022/ 210

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21-6-2022	वादी / प्रार्थी राकेश पुत्र सुखाराम जाट सा. हरियाजून तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम हरियाजून पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 168, 183 प्रस्तुत कर कथन किया है। प्रार्थी के पिता का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **सुखाराम पुत्र अरजनराम** सा. देह **अन्य सहखातेदारान के साथ** दर्ज है, जो अशुद्व है। प्रार्थी के पिता का शुद्व नाम **सुखाराम पुत्र अरजाराम** तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00096 आधार नम्बर 653544436679 मतदाता पहचान पत्र RJ/25/196/0606538 अन्य दस्तावेज **भामाशाह कार्ड** VTRWRCH PPO RJ-S-04753891, Death Certificate 08112004000001400159/2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **नारायणपुरा** भू.अ.नि **मण्डावरा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका नाम शुद्व किया जा सके तथा उक्त अशुद्वि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, वादी / प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	